संख्या-55/2024/891/2024/12-5-39/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक : 10 सितम्बर, 2024**

विषय : खरीफ-2024 से एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत ई-खसरा पड़ताल के संपादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-56/2023/923/2436013/2023/12-5099/10/2023, दिनांक 04 अगस्त, 2023 के द्वारा पायलट आधार पर प्रदेश में एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत ई-खसरा पड़ताल (डिजिटल क्रॉप सर्वे) के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए है। खरीफ-2023 में प्रदेश के 21 जनपदों के शत प्रतिशत एवं 54 जनपदों के 10-10 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 27260 राजस्व ग्रामों में कुल 1,15,87,033, रबी 2023-24 में प्रदेश के समस्त जिओ रेफरेंस रिवेन्यू विलेज को सम्मिलित करते हुए 81419 राजस्व ग्रामों में कुल 4,08,84,798 गाटों का तथा जायद में प्रदेश के 58313 राजस्व ग्रामों में 36,93,278 गाटों में ई-खसरा पड़ताल सफलता पूर्वक संपन्न कराया गया। वर्ष 2024 से ई-खसरा पड़ताल को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. वर्तमान खरीफ 2024 में प्रदेश के 75 जनपदों के 93,870 राजस्व ग्रामों के जिओ रेफरेंस नक्शे के सापेक्ष कुल 6,60,72,540 जिओ रेफरेंस गाटों में ई-खसरा पड़ताल एप के माध्यम से पड़ताल का कार्य सम्पादित कराया जायेगा। जिओ रेफरेंस भू नक्शों के त्रुटियों/ तकनीकी समस्याओं का निराकरण कराकर अवशेष गाटों का भी जिओ रेफ्रेंसिंग कराकर एग्रीस्टैक पोर्टल पर एपलोड कराया जायेगा। जिन राजस्व ग्रामों के नक्शे उपलब्ध नहीं हैं या जिन गाटों की जिओ रेफ्रेंसिंग न हो सके, उन राजस्व ग्रामों/गाटों में पूर्व की भांति ऑनलाइन खसरा पड़ताल सम्पादित कराया जायेगा।

3. गत वर्ष की भांति राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ई-खसरा पड़ताल का कार्य संपादित किया जायेगा। खरीफ-2024 में दिनांक 20 अगस्त, 2024 से प्रदेश के समस्त जनपदों में ई-खसरा पड़ताल का कार्य प्रारंभ कर निर्धारित 45 दिन में पूर्ण कराकर 05 अक्टूबर, 2024 तक संपन्न कराया जायेगा। उक्त हेतु समस्त आवश्यक तैयारी जैसे मोबाइल एप्लीकेशन की टेस्टिंग, डीएमटी-टीएमटी प्रशिक्षण, जनपदों में सर्वेयर, सुपरवाइजर एवं वेरीफायर का प्रशिक्षण, कार्मिकों के यूजर आईडी को एक्टिवेट करना तथा नए कार्मिकों की यूजर आईडी क्रिएट करने एवं टास्क एलोकेशन जैसे कार्यों को प्रत्येक दशा में 19 अगस्त, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. ई-खसरा पड़ताल हेतु सर्वेयर एवं सुपरवाइजर हेतु प्रोत्साहन राशि, इन्टरनेट कनेक्टिविटी एवं नए योजित कार्मिकों को पॉवर बैंक हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप धनराशि देय होगी।

5. ई-खसरा पड़ताल का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण शासनादेश संख्या-56/2023/923/2436013/2023/12-5099/10/2023, दिनांक 04 अगस्त, 2023 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कृषि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व/कृषि/वित्त/नियोजन/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक/पंचायती राज/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त, गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. निदेशक, कृषि, उद्यान, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. एस०आई०ओ०, एनआईसी, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

रविन्द्र
प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग।

पी० गुरूप्रसाद
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।